

**बिहार लोक सेवा आयोग****15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001**

कृषि विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	विज्ञापन सं.	कोटि, पदनाम एवं वेतनमान	अनारक्षित (01)		अनुसूचित जाति (02)		अनुसूचित जनजाति (03)		अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)		पिछड़ा वर्ग (05)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (06)		कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग हेतु आरक्षित पद
			कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या			
1.	18/2024	बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (राष्य) अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/सहायक निदेशक (राष्य) एवं समकक्ष Level-9	21	07	39	14	04	01	41	14	34	12	16	06	155	03	VI-02 DD-02 OH-02 MD-01
2.	19/2024	बिहार कृषि सेवा कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) Level-9	01	00	03	01	01	00	08	03	04	01	02	00	19	01	VI-00 DD-00 OH-00 MD-01
3.	20/2024	बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) Level-9	00	00	01	00	01	00	04 + 02 (बैकलॉग)	01	02	00	01	00	11	00	VI-00 DD-00 OH-00 MD-00
4.	21/2024	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 (राष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष Level-7	219	77	175	61	17	06	219	77	149	52	87	30	866	17	VI-09 DD-09 OH-09 MD-08

नोट:- (i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VI - दृष्टि दिव्यांग, DD - मूक बधिर दिव्यांग, OH - चलन दिव्यांग, MD - मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।

(ii) अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.सं.	कोटि एवं पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (राष्य) अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/सहायक निदेशक (राष्य) एवं समकक्ष	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री। Shall be degree of bachelor in Agriculture Science (B.Sc. Ag.) from any recognized Agriculture University/ Institute/Central University (Agriculture Faculty.) कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अन्तर्गत अन्य संबंधित/सम्बन्धी विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी।
2.	बिहार कृषि सेवा कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री।
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से Elective Plant Protection (पौधा संरक्षण) के साथ में स्नातक की डिग्री।
4.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 (राष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी. कृषि) की डिग्री।

Handwritten signature

3. **उम्र सीमा** – 01.08.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)–42 वर्ष।

परन्तु विज्ञापन संख्या-18/2024, 19/2024 एवं 20/2024 के लिए विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो, जो दिनांक-01.08.2023 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक न हो।

- (i) विज्ञापन संख्या-18/2024, 19/2024 एवं 20/2024 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक- 01.08.2015 से 01.08.2023 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन संख्या-21/2024 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 212, दिनांक- 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक- 01.08.2002 से 01.08.2023 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।

- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. **चयन का आधार** – लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर।

- (i) लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी-100 अंक (एक पत्र), सामान्य ज्ञान-100 अंक (एक पत्र) एवं संबंधित विषय-200 अंक (दो पत्र) = 400 अंकों का होगा। विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे:-

क्र. सं.	विषय	पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-18/2024 से 21/2024 तक के लिए हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
2.	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि-1 शब्द (Agronomy)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-18/2024 के लिए शब्द का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-1 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agronomy के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	



क्र. सं.	विषय	पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
4.	बिहार कृषि सेवा कोटि-2 कृषि अभियंत्रण (Agri. Engg.)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-19/2024 के लिए कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-2 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agri. Engg. के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
5.	बिहार कृषि सेवा कोटि-5 पौधा संरक्षण (Plant Protection)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-20/2024 के लिए पौधा संरक्षण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-5 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Plant Protection के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
6.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 कृषि विज्ञान	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या-21/2024 के लिए कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-1 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agronomy के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	

➤ उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। सामान्य हिन्दी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक होगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374 दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक-01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौत्तीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) लिखित परीक्षा में संबंधित विषय पत्र तथा सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 की कडिका-10 के आलोक में साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के द्वाइ गुणा होगी। कोटिवार समान कट-ऑफ-अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा।

(iv) साक्षात्कार :- लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।

(v) लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(vi) विज्ञापन संख्या-18/2024, 19/2024 एवं 20/2024 की मेधा सूची :- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के योग एवं समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गई कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी।

➤ चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

(क) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता - 75 अंक

(ख) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्य अवधि की अधिमानता - 25 अंक

(संविदा नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होगी)।

नोट:- संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28.01.2024 तक संविदा के आधार पर कार्य किये गये अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जायेगी।

➤ उदाहरणस्वरूप, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) का कुल पूर्णांक 550 है एवं कोई भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी इसके विरुद्ध 300 अंक प्राप्त करते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:-

$$\frac{300 \text{ (कुल प्राप्तांक)}}{550 \text{ (कुल पूर्णांक)}} \times 75$$

$$550 \text{ (कुल पूर्णांक)}$$

$$+ \text{ प्रत्येक एक}$$

$$\text{वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम}$$

$$25 \text{ अंक अधिमानता की अंक होगी।}$$

इस प्रकार 40.90 अंक + अगर कोई संविदा कर्मी नियमावली के अनुरूप 2 वर्ष समान पद पर कार्य किये हैं, तो 40.90+10=कुल 50.90 को उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर अधिमानता दी जायेगी।

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा संविदा के अधिमानता के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम



निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उच्च तथा उच्च में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

- (vii) विज्ञापन संख्या-21/2024 की मेधा सूची लिखित एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अलग-अलग मेधा सूची तैयार की जायेगी। अंतिम मेधा सूची तैयार करने के क्रम में लिखित एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उच्च तथा उच्च में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(viii) इस विज्ञापन के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

5. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) सम्प्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	06

- (vi) (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability) को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के कडिका- 3 में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.07.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-28.01.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:-(2) आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

- (i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
- (ii) स्नातक का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कडिका-2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- (iii) स्नातक का अंक पत्र (विज्ञापन की कडिका-2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- (iv) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्यरत अवधि का विनिश्चय हेतु संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
- (v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
- (vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।



- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने के स्थिति में)।
- (ix) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (दावा करने के स्थिति में)।
- (x) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xi) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (दावा करने के स्थिति में)।
- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।
- (xiii) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।
- (xiv) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xv) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xvi) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xvii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
- (xviii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

6. शुल्क:-

अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा यथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (शष्प एवं समकक्ष), सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- सभी आरक्षित/अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा।

(2) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	15.01.2024
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	28.01.2024

(ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।



- (iii) ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण-पत्र/कागजात को (जो स्पष्ट एवं पठनीय हो) PDF Format में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
- (iv) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, संविदा के आधार पर किये गये कार्य का अनुभव तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
- (v) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही हैं। Payment के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Registration में की गयी प्रविष्टि में Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

नोट:- Application Form Submit करने के उपरान्त Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।

नोट:- वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिर से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।


- (vi) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (vii) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की कडिका-3 (i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ix) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (x) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (xi) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (xii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (xiii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xiv) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर



उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

8. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
10. शैक्षिक परीक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
12. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।



परीक्षा नियंत्रक,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।